27/10/09
29/11/09
5/01/10
23/2/10
26/2/10

Form NO III

## फर्द अहकाम
(नियम 20)

ज अदालत– सहायक कलेक्टर,
भीनमाल

मुकाम -- भीनमाल

दी– मंदिर श्री महादेवजी चण्डीनाथ जी जरिये पुजारी गवराराम नि० भीनमाल बनाम प्रतिवादीगण– दीपा पुत्र हिमता वगैरा

रस्म मुकदमा राजस्व वाद नं० सन् भीनमाल
रा– u/s 88 एवं 188 रा० का० अधि० 77/2009

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 1/10/2009 | वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक दावा धारा 88 एवं 188 R.T.Act के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। अतः दावा दर्ज रजिस्टर हो।<br>प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 14/10/09 को पेश हो।<br>सहायक कलेक्टर<br>भीनमाल<br>सहायक कलेक्टर<br>भीनमाल | |
| 14/10/2009 | वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी नं 19 उपस्थित। नं 20 उपस्थित। प्रतिवादी नं० 1, 2, 5 से 11, 12, 1 से 145, 16, 17 व 18 के समन बाद तामील प्राप्त हुए हैं। प्रतिवादी नं० 3, 4, 13, 14 व 15 के समन बावजूद खुले मुकाम पर चस्पा होकर प्राप्त हुए हैं। प्रतिवादी 3, 4, 13, 14 व 15 के वास्ते कोई भी उपस्थित नहीं हुए हैं। प्रतिवादी 3, 4, 13, 14 व 15 के तामील पर्याप्त मानते हुए पृथक-पृथक आवाज एक-एक कर तीन बार आवाज दिलवाई गई मगर कोई उपस्थित नहीं हुआ। फलस्वरूप प्रतिवादी नं० 3, 4, 13, 14 व 15 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी अधिवक्ता जरिये बहस रहे प्रतिवादीगण की तलबी हेतु ओरियत सहित जवाब तलबाना पेश करें। पत्रावली<br>[illegible] दि० 27/10/09 को पेश हो।<br>सहायक कलेक्टर | 19 |

Scanned by CamScanner

हुक्म

23.3.18 वकुलाय करीकैन उपस्थित।
प्रकरण का अवलोकन किया गया
वादी का दावा बाबत इस्तकार हुक्म
व स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया
जाता है विस्तृत निर्णय अलग से
लिखा जाकर शामिल मिसल किया
गया। मिसल के सन्ध शुमार बेबाक
नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर, भीनमाल

Scanned by CamScanner

## न्यायालय सहायक कलेक्टर भीनमाल जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी – दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.

**राजस्व वाद संख्या–77/2009**

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| मन्दिर श्री महोदवजी चण्डीनाथ जरिये पुजारी गवराराम पुत्र खेता जाति ब्राहाण निवासी भीनमाल तहसील भीनमाल | | 1दीपा पुत्र हिमता<br>2भंवरा पुत्र हिमता<br>3छोगा पुत्र हिमता<br>4 चुन्नीलाल पुत्र हिमता<br>5जबराराम पुत्र हिमताराम<br>6कानाराम पुत्र चमनाराम<br>7 भीमाराम पुत्र चमनाराम<br>8सुरेश कुमार पुत्र चमनाराम<br>9अर्जुन कुमार पुत्र चमनाराम<br>10मु. अमियादेवी बेवा चमनाराम<br>11 सोना पुत्र रामा<br>12 स्वः पदमा पुत्र देवा के का.मु.<br>12–1 केवाराम पुत्र पदमा<br>12–2 भगवानाराम पुत्र पदमा<br>12–3 पकाराम पुत्र पदमा<br>13–4 हीराराम पुत्र पदमा<br>14–5 श्रीमति आसीदेवी बेवा पदमा<br>13 मूलाराम पुत्र तेजा<br>14 नरसीराम पुत्र तेजा<br>15 डायाराम पुत्र तेजा<br>16किशोर कुमार पुत्र तेजा<br>17 रमेश कुमार पुत्र तेजा<br>18श्रीमति गौरीदेवी बेवा तेजा जातियान पुरोहित निवासी भीनमाल<br>19 शाखा प्रबन्धक एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा भीनमाल<br>20राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीनमाल |

**दावा बाबत इश्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा**

**उपस्थिति– श्री गोपाललाल नागर अधिवक्ता वादीगण**
**श्री मन्छाराम राजपुरोहित अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

निर्णय — दिनांक 23-9-19

वादी ने उक्त वाद बाबत इश्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि कस्बा भीनमाल के प्रमुख मन्दिर श्री चण्डीनाथ महोदवजी की खातेदारी भूमि बेरा बना जीवानाडा वाला प्रथम सेटलमेन्ट के समय स्थित था जिसके खसरा नम्बर 2204,2205,2202 व 2203 जुमले रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा है ततसमय उक्त भूमि की खातेदारी डोली बनाम मन्दिर श्री महादेवजी चण्डीनाथ जी के नाम के साथ उसके पुजारी खेता पुत्र धना के नाम अंकित कर दिया गया था कालान्तर में पुजारी स्वामी बनने लगे सब राज्य सरकार ने सन् 1984 से 1989 के रिसेटलमेन्ट में पुरे राज्य

Scanned by CamScanner

मे और सर्वत्र नई जमाबन्दी में पुजारीयों के नाम हटाकर मात्र मन्दिर की मिलकीयत रखी गई। उक्त दावा मन्दिर के पुर्व पुजारी स्वः खेता के पुत्र वादी द्वारा पुजारी की हैसियत से पेश किया जा रहा है। वादी और प्रतिवादी नम्बर 1 से 18 की कृषि भूमि अडौस पडौस में स्थित है सवंत 2012 में सम्पन्न हुआ विगत सेटलमेन्ट उस समय वादी मन्दिर श्री महादेवजी चन्डीनाथ की डोली की कृषि भूमि उक्त खसरा नम्बर के उत्तर में प्रतिवादी 1 से 18 के पुर्वज देवा,हिमता व रामा पि उदा कोम पुरोहित साकीन भीनमाल की बापीदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2206,2207,2208,2209 स्थित थी। वादी व प्रतिवादीगण 1 से 18 की उक्त कृषि भूमि के पुर्व में गैर मुमकीन नाडी खसरा नम्बर 2201 स्थित थी उभय पक्षकारान का कब्जा काश्त आज भी पुर्ववत ही है। दोनों सीमा पर 50 वर्षो से अधिक पुराना लोर है व बडे बडे पैड खडे है विगत सेटलमेन्ट के नक्शें में वादी की कृषि भूमि को लाल रंग से तथा प्रतिवादी 1 से 18 की कृषि भूमि को हरे रंग से परिशिष्ट अ में दर्शाया गया है। रिसेटलमेन्ट में गत ,खसरा नम्बर 2204,2205,2202,2203 के नवीन खसरा नम्बर 4088 व 4089 की अंकित किये है।जबकि खसना नम्बर 4090 भी वादी की कृषि भूमि का हिस्सा होते हुए भी सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने एक्सीडेन्टल भूल से प्रतिवादी नम्बर 1 से 18 की खातेदारी में अंकित कर दिया है। रिसेटलमेन्ट का नक्शा परिशिष्ट ब में पेश है। उस नक्शे में एबीसीडी पीले रंग से खसरा नम्बर 4090 के रूप में दर्शाया गया है। जो वादी की ही भूमि खसरा नम्बर 4088 व 4089 जो लाल रंग से दर्शाया गया है उसका ही भाग है। खसरा नम्बर 4090 के भु भाग पर आज भी फसल खडी है खसरा नम्बर 4088,4089,4090 की भूमि एक ही चक में स्थित है जो नक्शा परिशिष्ट में बताई है। रिसेटलमेन्ट के दौरान उपरोक्त भूल हुई है। सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने मिलान क्षैत्रफल में खसरा नम्बर 4090 का पेरेन्ट खसरा नम्बर 2206 मीन गलत मौके की स्थिति के प्रतिकुल बताया है। जबकि मौके की स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 4090 का पेरेन्ट खसरा नम्बर 2205 ही है। जो वादी की खातेदारी कृषि भूमि का ही भाग है। भू प्रबन्ध के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारियो की भूल की वजह से नवीन खसरा नम्बर 4090 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 से 18 के हक में दर्ज किये जाने का पता चलने पर उक्त प्रतिवादीगण ने वादी को कहा कि खसरा नम्बर 4090 हमारी खातेदारी है । तब वादी ने कहा कि उक्त भूमि तो प्रथम सेटलमेन्ट से लेकर आज दिनक तक वादी के मन्दिर के खातेदारी में है। तथा हमने राजस्व रेकार्ड की नकले हासिल की तो पता चला तो हमने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का खातेदारी इन्द्राज पुर्ववत पुनः मन्दिर के हक में दुरस्त कराने को कहा पर उन्होने इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादीगण ने मन्दिर के पुजारी को उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 4090 से कब्जा छोडने की धमकी दी अतएंव उक्त खसरा नम्बर 4090 रकबा 0.15 हैक्टर की खातेदारी पुर्ववत वादी मन्दिर श्री महादेवजी चण्डीनाथ के हक में घोषित की जावे।एंव माफीक इस्तदुआ प्रतिवादीगण 1 से 18 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे।

प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 18 की और से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि दावें में सभी खातेदारन को पक्षकार नहीं बनाया गया है। तथा मन्दिर का पुजारी केवल मात्र टस्टी है। भूमि मालिक नही है वादी ने दावा गलत हैसियत से पेश किया है । तथा वादी व प्रतिवादी की कृषि भूमि आपस में अडौस पडौस में स्थित जरूर है। तथा पुर्व में नाडी स्थित है। दावें में वर्णित यह तथ्य पुर्णतया गलत है। कि लोर व बडे बडे वृक्ष खडे है जरूर काटों की बाड माट के रूप में विदयमान है। यदि सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा कोई दस्तावेजी भल की गई है या हुई है तो रेकार्ड दुरस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में

Scanned by CamScanner

जाना चाहिए। खसरा नम्बर आराजी के 4090 में प्रतिवादी की फसल जरूर खड़ी थी। तथा खसरा नम्बर 4088,4089,4090 की भूमि एक ही चक में स्थित नहीं होकर अलग अलग भागों में स्थित है। वाद में वर्णित तथ्यों को गलत होने से अस्वीकार करते हुए आराजी खसरा न 4090 प्रतिवादीगण की आराजी है तथा कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का चला आना व्यक्त करते हुए वादी का वाद मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

वादी ने वाद के साथ दस्तोवजी प्रमाण में पर्चा लगान सेटलमेन्ट विभाग प्रदर्श 1 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 2 खतौनी बन्दौबस्त 2012 से 2029 प्रदर्श 3 जमाबन्दी सवतं 2064 से 2067 प्रदर्श 4, जमाबन्दी 2064 से 2067 प्रर्दश 5 फोटाग्राफ प्रदर्श 6,7,8,9 खतौनी बन्दौबस्त 2012 से 2029 प्रदर्श 10 जमाबन्दी संवतं 2024 से 2027 प्रदर्श 11, जमाबन्दी 2028–31 प्रदर्श 12, जमाबन्दी संवत 2031–34 प्रदर्श 13, जमाबन्दी संवत 2035–38 प्रदर्श 12 नक्शा किश्तवार प्रदर्श 14, मौका फर्द प्रदर्श 15 तथा मौखिक साक्ष्य में वादी गवराराम पीडब्ल्यु 1 गवाह मगनलाल पीडब्ल्यु 2 गवाह गौदाराम पीडब्ल्यु 3 गवाह दलाराम पीडब्ल्यु 4 गवाह नाथु पीडब्ल्यु 5 के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलंमबद्व करवाये तथा प्रतिवादी ने कोई दस्तोवजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये तथा मौखिक साक्ष्य में चुन्नीलाल पुत्र हिमता पुरोहित डीडब्ल्यु 1 साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कंलमबद्व करवाये गवाह नरसीराम पुत्र तेजाजी का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया परन्तु बयान कंलमबद्व नही करवाये ।

मामलें में उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1 आया सरहद मौजा भीनमाल में कृषि भूमि खसरा नम्बर 4090रकबा 0.15 हैक्टर की खातेदारी पुर्ववत वादी मन्दिर श्री महोदवजी चण्डीनाथ जी के हक में घोषित की जावे। जिम्मेवादी–

2 आया प्रतिवादी नम्बर 1 से 18 के विरूद्व इस आशय की स्थाईनिषेधाज्ञा जारी की जावे की वे वादी मन्दिर की वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करे न ही अन्य किसी से करावे। जिम्मेवादी–

3 आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 4090 रकबा 0.15 हैक्टर पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। जिम्मेप्रतिवादीगण–

4 अनुतोष–

मामले में दोनो पक्षों के अधिवक्तागण की तनकीवार बहस सुनी गई व बहस पर मनन किया तथा मामलें में विरचित की गई तनकी पर तनकीवार निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता हैः–

1 यह तनकी वादी के जिम्मे रखी गई, वादी ने इस तनकी के समर्थन में दस्तोवजी प्रमाण में पर्चा लगान सेटलमेन्ट विभाग प्रदर्श 1 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 2 खतौनी बन्दौबस्त 2012 से 2029 प्रदर्श 3 जमाबन्दी सवतं 2064 से 2067 प्रदर्श 4, जमाबन्दी 2064 से 2067 प्रर्दश 5 फोटाग्राफ प्रदर्श 6,7,8,9 खतौनी बन्दौबस्त 2012 से 2029 प्रदर्श 10 जमाबन्दी संवतं 2024 से 2027 प्रदर्श 11, जमाबन्दी 2028–31 प्रदर्श 12, जमाबन्दी संवत 2031–34 प्रदर्श 13, जमाबन्दी संवत 2035–38 प्रदर्श 12 नक्शा किश्तवार प्रदर्श 14, मौका फर्द प्रदर्श 15 तथा मौखिक साक्ष्य में वादी गवराराम पीडब्ल्यु 1 गवाह मगनलाल पीडब्ल्यु 2 गवाह गौदाराम पीडब्ल्यु 3 गवाह दलाराम पीडब्ल्यु 4 गवाह नाथु पीडब्ल्यु 5 के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलंमबद्व करवाये।

वादी ने पर्चा लगान सेटलमेन्ट विभाग प्रदर्श 1 अवधि 2012 से 2019 अनुसार आराजी खसरां नम्बर 2204,2205 ,2202,2203,1386,1890 व 1837 अनुसार डोली बनाम मन्दिर श्री महादेवजी चन्डीनाथ जी वाके देह बहेतमान पुजारी खेता वल्द धनराज कौम अबोटी ब्राहाणं साकीन देह पुजारा से अंकित है।

Scanned by CamScanner

तथा खतौनी बन्दौबस्त संवत 2012 से 2029 प्रदर्श 10 में इसी माफीक इन्द्राज अंकित है। तथा जमाबन्दी 2024 से 2027 अनुसार प्रर्दश 11 में आराजी खसरा नम्बर 1890,2204,2205,2202 ,2203 खेता वल्द धनराज कौम ब्राह्माण साकीन देह खातेदार दर्ज है तथा जमाबन्दी संवत 2028–31 प्रर्दश 12 व जमाबन्दी संवत 2031 से 2034 में खेता वल्द धनराज कौम बाह्माण साकीन देह खातेदार दर्ज है तथा खेता के स्थान पर जरिये नामान्तकरण संख्या 1176 के हीरालाल,पुनमाराम केशाराम,गवराराम पि खेता कौम पुरोहित खातेदार दर्ज हुआ तथा जमाबन्दी संवत 2035 से 2038 में प्रदर्श 12 इन्द्राज हुआ। ततपश्चात वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 2 अनुसार गत खसरा नम्बर 2204,2205 व2203 के नये खसरा नम्बर 4089 तथा गत खसरा नम्बर 2202 के नवीन खसरा नम्बर 4088 सृजित हुए। तथा जमाबन्दी संवत 2064–67 प्रर्दश 4 अनुसार नवीन खसरा नम्बर 4088 व 4089 मन्दिर श्री महोदवजी चन्डीनाथ वाके देह खातेदार के नाम से अन्य खसरो के साथ इन्द्राज है वादी द्वारा प्रस्तुत खतौनी बन्दौबस्त संवत 2012 से 2029 प्रदर्श 10 अनुसार गत खसरा नम्बर 2206 खाते में इन्द्राज नहीं हैं। गत खसरा नम्बर 2206 जमाबन्दी संवत 2012 से 2029 प्रदर्श 3 अनुसार देवा हिमता व रामा पि उदा कौम पुरोहित साकीन देह बाकीदार इन्द्राज है तथा मिलान क्षैत्रफल अनुसार गत खसरा नमबर 2206 के नवीन खसरा नम्बर 4090 व 4091 सृजित हुए है। जो जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 प्रदर्श 5 अनुसार दीपा भवरा, छौगा, चुन्नीलाल पि हिमता 1/3 जबराराम ,कानाराम ,भीमाराम ,सुरेश कुमार, अर्जुन कुमार पि चमनाराम अमीया देवी धर्मपत्नि स्वःचमना, सोना वल्द रामा 1/3 पदमा वल्द देवा, मूलाराम ,नरसीराम ,डायाराम ,किशोर कुमार,रमेश कुमार पि तेजा ,मु गेरी देवी बेवा तेजा 1/3 कोम पुरोहित साकीन देह खातेदार दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेज अनुसार खसरा नम्बर 4090 रकबा 0.15 हैक्टर के मिलान क्षैत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 2206 थे तथा ख.न. 2206 हिमता व रामा पिसरान उदा कौम पुरोहित साकीन देह बापीदार संवत 2012 –29 प्रदर्श 3 में इन्द्राज थे तथा प्रदर्श 5 जमाबन्दी संवत 2064–67 में नवीन खसरा नम्बर 4090 व 4091 उसी प्रकार इन्द्राज हुए उक्त गत खसरा नम्बर 2206 उक्त दस्तोवज अनुसार डोली बनाम मन्दिर श्री महादेवजी चन्डीनाथ जी के नाम से इन्द्राज नही थे तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे मन्दिर श्री महादेवजी चन्डीनाथ जी वाके देह के नाम से इन्द्राज नंही है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दस्तोवज अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 4090 रकबा 0.15 हैक्टर की खातेदारी वादी मन्दिर महादेवजी चन्डीनाथ के हक में घोषित करवाये जाने के हक में अधिकारी नहीं पाये जाते है। नवीन भू प्रबन्धन के दौरान पुर्व रेकार्ड माफीक ही मौके एंव रेकार्ड की स्थिति अनुसार ही नवीन अभिलेख तैयार किया जाता है। फलस्वरूप भू प्रबन्धन के दौरान मौके एंव रेकार्ड की स्थिति अनुसार ही अभिलेख सृजित किया गया है। इस प्रकार वादी उक्त तनकी को दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर साबित करने में सफल नहीं हो सका है, अतएंव यह तनकी वादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

2 यह तनकी वादी के जिम्मे रखी गई, वादी तनकी नम्बर 1 को साबित करने में असफल रहा है ऐसी स्थिति में तनकी नम्बर 1 वादी के विरूद्व निर्णीत होने से वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 से 18 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञां पाने के अधिकारी नही पाया जाता है। अतएंव यह तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

3 यह तनकी प्रतिवादी के जिम्मे रखी गई, वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 4090 रकबा 0.15 हैक्टर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 प्रदर्श 5 अनुसार दीपा भवरा, छौगा, चुन्नीलाल पि हिमता 1/3 जबराराम कानाराम भीमाराम सुरेश कमार अर्जन कमार पि॰ चमनाराम अमीया देवी

Scanned by CamScanner

धर्मपत्नि स्वःचमना, सोना वल्द रामा 1/3 पदमा वल्द देवा, मूलाराम ,नरसीराम ,डायाराम ,किशोर कुमार,रमेश कुमार पि तेजा ,मु गेरी देवी बेवा तेजा 1/3 कोम पुरोहित साकीन देह खातेदार दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी वादग्रस्त आराजी की खातेदारी पाने का अधिकारी नहीं पाया जाता है।

अतः वादी का वाद बाबत इश्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.9.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
सहायक कलेक्टर भीनमाल
सहायक कलेक्टर, भीनमाल

Scanned by CamScanner